

उपसहायक (प्रचालन क्षेत्र)

कार्यालय, उपसहायक व्यावसायिक क्षेत्र

सी टी ओ कम्पाउण्ड शहजादी मण्डी

आगरा (उ.प्र.)-282001

दूरभाष स 0562-2226988, फैक्स स 0562-2225100



भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रस्ताव संख्या: FP/UP/Others/35215/2018

विषय : जनपद आगरा तहसील बाह में आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर ग्राम अरनोटा से ग्राम कचौराघाट तक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अंतर्गत, संयोजन हेतु ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु प्रभावित हे० 1.395 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

दिनांक: 25.01.2023 को भारत संचार निगम लिमिटेड आगरा की ओर से श्री अरविन्द कुमार डीवीजनल इंजिनियर (ट्रांसमिशन) व सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा की ओर से श्री कोमल सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी जैतपुर रेंज आगरा के साथ हुए संयुक्त निरीक्षण की आख्या के अनुसार आगरा -बाह- कचौराघाट मार्ग (SH-62) के कि० मी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दायीं पटरी पर 46.5 कि मी लंबाई में भारत संचार निगम लिमिटेड आगरा द्वारा (भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत समस्त ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने हेतु) प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में कुल 1.395 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के तहत प्रभावित वन भूमि में किसी भी प्रकार के वृक्ष बाधक नहीं है तथा उक्त विषयक कार्य हेतु उपयुक्त है। संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु गैर वानिकी उपयोग की जाने वाली वन भूमि की मांग न्यूनतम है एवं कोई अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।



अरविन्द कुमार

डीवीजनल इंजिनियर (ट्रांसमिशन)

भारत संचार निगम लिमिटेड

आगरा

प्रतिहस्ताक्षरित



प्रभागीय निदेशक





कोमल सिंह

क्षेत्रीय वन अधिकारी

जैतपुर रेंज आगरा